रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941
No. 644] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 821(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) यथा-लागू, प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में समुचित सरकार के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है), जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त पदाभिहित करे, आनलाइन आवेदन कर सकेगा"।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (2क) और उपनियम का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 8ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"8ख. व्यवसाय प्रमाणपत्र का नवीकरण—नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र का विहित फीस का संदाय किए जाने पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा। व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन समुचित सरकार को वैधता अवधि के अवसान की तारीख से पूर्व (छह मास) प्ररूप XVI में आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।"।

5. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"14. विवरणी प्रस्तुत करना—प्रत्येक नोटरी प्रत्येक वर्ष के जनवरी मास के पहले सप्ताह में समुचित सरकार को उसके द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए नोटरी कृत्यों की प्ररूप XIV में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।"।

6. उक्त नियमों में, प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 1

[देखें नियम 4(2)]

फोटो

1.	आवेदक का नाम .....
2.	पिता/पति का नाम .....
3.	जन्म की तारीख .....
4.	क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य वर्ग से हैं .....
5.	पता (निवास) ..... पिन ..... टेलीफोन/मोबाइल ..... फैक्स ..... ई-मेल ..... पता (कार्यालय) ..... पिन ..... आधार नंबर ..... पैन नंबर ..... टेलीफोन/मोबाइल ..... फैक्स ..... ई-मेल .....
6.	शैक्षिक अर्हताएं (कृपया स्वयं सत्यापित स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें)
7.	विधिज्ञ परिषद् की नामांकन संख्या और तारीख (कृपया स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करें)
8.	व्यवसायरत ..... सिविल ..... दांडिक ..... कर ..... राजस्व न्यायालय .....
9.	क्या आयकर निर्धारिती है .....
10.	आवेदक (आवेदक का स्पष्ट अक्षरों में नाम) घोषणा करता है कि ..... 1. आवेदक नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन नोटरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति है ; 2. आवेदक अधिवक्ता के रूप में ..... (यहां स्थानीय क्षेत्र और न्यायालय के नाम का कथन करें, जहां वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने का आशय रखता है) व्यवसाय करता है ; 3. स्थानीय क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले नोटरी वहां की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हैं (अधिक नोटरियों को जोड़ने के आधारों का कथन करते हुए विवरण) .... 4. आवेदन करने वाले के द्वारा किसी पूर्व आवेदन को पिछले छह मास के दौरान अस्वीकार नहीं किया गया है या उसके द्वारा वापस नहीं लिया गया है ;

आवेदक, इसलिए प्रार्थना करता है कि सरकार नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन ..... (यहां उस स्थानीय क्षेत्र के नाम का वर्णन करें, जहां वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करने की वांछा करता है) उसकी नियुक्ति करे और उसे नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात करे ।

तारीख :

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : (1) आवेदन की प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में अग्रिम हार्ड प्रतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा । साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे :--

(i) जन्म की तारीख से संबंधित सबूत, आधार और पैन कार्ड की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(ii) स्नातक डिग्री की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(iii) विधि डिग्री की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(iv) संबंधित विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी नामांकन प्रमाणपत्र की प्रति (स्वयं सत्यापित)

(v) विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति को नोटरी के रूप में चयन होने पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी

(vi) जहां आवेदक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता है, से संबंधित जिला न्यायाधीश या न्यायालय या अधिकरण के पीठासीन अधिकारी से अनुभव प्रमाणपत्र

"प्ररूप XVI

[देखें नियम 8ख]

सेवा में,

विधि सचिव,

विधि कार्य विभाग,

विधि और न्याय मंत्रालय,

शास्त्री भवन,

नई दिल्ली ।

विषय : ..... से व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए अनुरोध (रजिस्ट्रीकरण संख्या .....)

महोदय,

आवेदक को ..... तारीख से रजिस्ट्रीकरण संख्या द्वारा नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए संपूर्ण ..... में नियुक्त किया गया था । आपसे अनुरोध है कि इसका ..... से ..... तक यथा शीघ्र नवीकरण कर दें ।

भवदीय,

तारीख :

स्थान :

[फा. सं. एन-15011/56/2019-डीएलए(एन)]

एस. आर. मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में का.नि.आ. सं. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 77(अ) तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2019

G.S.R. 821(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, for sub-rule(1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) A person may make an application for appointment as a notary (hereinafter called "the applicant") **online** in Form I or Form II as applicable, addressed to such officer or authority (hereinafter referred to as the "competent authority") of the appropriate Government as that Government may, by notification in the Official Gazette, designate in this behalf".

3. In the said rules, in rule 4, sub-rule (2A) and (3) shall be omitted.

4. In the said rules, for rule 8B, the following shall be substituted, namely:—

"8B. Renewal of Certificate of Practice.- The Certificate of Practice issued under sub-rule (4) of rule 8 may be renewed for a further period of five years on payment of prescribed fee. An application for renewal of Certificate of Practice shall be submitted **online** in Form XVI to the appropriate Government before (six months) from the date of expiry of its period of validity.".

5. In the said rules, for rule 14, the following shall be substituted, namely:—

"14. Submission of returns.—Every notary shall, in the first week of January every year, submit to the appropriate Government, an annual return **online** in Form XIV of the notarial acts done by him during the preceding year".

6. In the said rules, for Form I, the following shall be substituted, namely:—

FORM I

[See rule 4 (2)]

Photograph

1. Name of the applicant……
2. Father's/Husband's name…….
3. Date of Birth…….
4. Whether SC/ST/OBC/General……
5. Address(residence)……. -----

Pin……..

Telephone/Mobile……Fax……..E-Mail……

Address (official)…….

Pin……Aadhaar No. ……PAN No……..

Telephone/Mobile……Fax……..E-Mail……

6. Educational Qualifications (Please upload self-attested scanned copies).
7. Enrolment number and date of the Bar Council (Please upload self-attested copy)
8. Practicing in……

Civil side…….

Criminal side……..

Taxation side……

Revenue Courts…….

9. Whether Income-tax ssesse……

10. The application of (name of the applicant in block letters) showeth……

1. That the applicant is a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952, and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;

2. That the applicant practices as an Advocate…… ……. (herein state the name of the local area and name of court where he intends to practice as an Advocate)

3. That the number of notaries practicing in the local area is insufficient for the requirements thereof (Statement to be added stating grounds for requirement of more Notaries)…….. ……..

4. That no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six months;

The applicant, therefore, prays that the Government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956, to practice in…….. (Mention here the name of the local area where he/she intends to practice as Notary).

Dated…….day of……..20……

..……

Signature of the applicant

Note : (1) No hard copies or advance copies of the application in Form I and Form II will be accepted. The following documents shall be submitted at the time of the interview:-

(i) Proof pertaining to date of birth, copy of Aadhaar and PAN Card (self-attested)

(ii) Copy of Graduation Degree. (Self-attested).

(iii) Copy of Law Degree. (Self-attested).

(iv) Copy of Certificate of enrolment issued by the Bar Council concerned (self-attested).

(v) No Objection Certificate issued by the Bar Council concerned State need to be submitted on selection as notary.

(vi) Experience certificate from the concerned District Judge or Presiding Officer of the court or Tribunal where the applicant practices as an Advocate.

FORM XVI

[See rule 8B]

To,

The Law Secretary,

Department of Legal Affairs,

Ministry of Law and Justice,

Shastri Bhawan,

New Delhi.

Subject- Request for renewal of Certificate of Practice w.e.f. _____

(Regn. No._____)

Sir,

The applicant was appointed as Notary vide Registration No._____ w.e.f._____ to practice as such, in and throughout_____. You are requested to renew the same w.e.f. _____ to _____ at the earliest.

Name of the Applicant

Date:

Place:

[F. No. N-15011/56/2019-DLA(N)]

S. R. MISHRA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 77(E) dated 30th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.06 23:17:24 +05'30'